

प्रेषक

डा० यू०एस०मलिक, प्रधानाचार्य,  
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,  
खजाना तथा लेखा विभाग,  
सिंचाई भवन, 'बी' ब्लॉक, पंचम तल,  
सैक्टर 5, पंचकूला ।

दूरभाष : 0172-2573875

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी  
विभागों हेतु ।

यादि क्रमांक टीए- (एटीआई)2016/ 1505  
दिनांक 28/03/2016

विषय:- स्टेट एस०ए०एस०, भाग-II का प्रशिक्षण - छठा कोर्स ।


उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

आपको सूचित किया जाता है कि एस०ए०एस० पार्ट-I उत्तीर्ण कर्मचारियों को लेखा प्रशिक्षण देने हेतु विषयाधीन कोर्स दिनांक 25.04.2016 से 17.06.2016 तक लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला में आरम्भ किया जा रहा है । इस कोर्स की अवधि 8 सप्ताह की होगी । इस प्रशिक्षण की विशेष बातें निम्नलिखित हैं :-

1. कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता नियम 2.88 सी०एस०आर०, खंड-III तथा अन्य सम्बन्धित अनुदेशों के अधीन सम्बन्धित विभाग से मिलेगा ।
3. संस्थान के पास प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने के लिये छात्रावास का कोई प्रबन्ध नहीं है अतः उन्हें ठहरने का प्रबन्ध स्वयं करना होगा । प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को वर्किंग लंच तथा दो समय चाय प्रदान की जायेगी । इससे टी०ए० पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से एस०ए०एस० पार्ट-I के उत्तीर्ण कर्मचारियों के नाम इस कोर्स में एस०ए०एस०. भाग-II का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दिनांक 19.04.2016 तक भेजना सुनिश्चित करें ताकि प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जा सके । संस्थान में एस०ए०एस० कक्षा में 30 से 35 प्रशिक्षणार्थियों के बैठने की व्यवस्था है । यदि इससे अधिक संख्या में उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश होती है तो शेष उम्मीदवारों को एस०ए०एस० भाग-II

के आगामी कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । यह परिपत्र निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा की वेबसाइट <http://www.hrtreasuries.gov.in/ATI.htm>. से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।




प्रधानाचार्य,

लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,  
पंचकूला ।

पृ0क्रमांक टीए-(एटीआई)2016/1506

दिनांक 28/3/2016

इसकी एक प्रति हरियाणा राज्य के सभी बोर्डज, निगमों तथा विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । यदि वह अपने कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के एस0ए0एस0 भाग-1 उत्तीर्ण कर्मचारी को एस0ए0एस0, भाग-1 का प्रशिक्षण दिलवाना चाहते हैं तो उन्हें प्रत्येक कर्मचारी के लिये अपने कार्यालय से राशि 4000/- रुपये (चार हजार रुपये) की फीस का ड्राफ्ट जमा करवाना होगा जोकि प्रशिक्षणार्थी कोर्स ज्वाइन करने के समय जमा करवाएगा । फीस का ड्राफ्ट प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा के पक्ष में पंचकूला में ही देय होना चाहिये । प्रशिक्षण पर भेजने के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेना संस्थान/निगम/बोर्ड/विश्वविद्यालय की अपनी जिम्मेवारी होगी ।



प्रधानाचार्य,

लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,  
पंचकूला ।